

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजठ जयपुर

क्रमांक: प.8(ड)(08)स.ग./डीएलबी/20/ 1 558
आदेश

दिनांक: 25 | 6 | 20

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका पुष्कर में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55(1) व (3) में वर्णित समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

01. कार्यपालक समिति:-

01. श्री कमल पाठक	अध्यक्ष
02. श्री शिव स्वरूप महर्षि	उपाध्यक्ष
03. श्री ओम प्रकाश डोल्या	प्रति पक्ष नेता
04. धारा 55(3) के अन्तर्गत गठित समितियों के अध्यक्ष	सदस्य
05. श्री जयनारायण दग्दी	सदस्य
06. श्री गोपाल चौधरी	सदस्य

02. वित्त समिति:-

01. श्रीमती सरोज दग्दी	अध्यक्ष
02. श्री रविकान्त पाराशर	सदस्य
03. श्री जयनारायण दग्दी	सदस्य
04. श्री मुकेश कुमावत	सदस्य
05. श्रीमती उमादेवी पाराशर	सदस्य
06. श्रीमती पुष्पा दायमा	सदस्य
07. श्रीमती सम्रता पाराशर	सदस्य
08. श्री गोपाल चौधरी	सदस्य
09. श्री शुग्भु चौहान	सदस्य
10. श्री धीरज जादम	सदस्य

03. स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति:-

01. श्रीमती उमा दग्दी	अध्यक्ष
02. श्री शग्भू चौहान	सदस्य
03. श्री धीरज जादम	सदस्य
04. श्रीमती पुष्पा दायमा	सदस्य
05. श्रीमती सरोज दग्दी	सदस्य
06. श्रीमती सम्रता पाराशर	सदस्य
07. श्री ओमप्रकाश डौल्या	सदस्य
08. श्री कमल रामावत	सदस्य
09. श्री जयनारायण दग्दी	सदस्य
10. श्रीमती पिकी देवी	सदस्य

04. सार्वजनिक मार्गों स्थानों व भवनों में रोशनी समिति:-

01. श्री रविकान्त पाराशर	अध्यक्ष
02. श्री धीरज जादम	सदस्य
03. श्री गोपाल चौधरी	सदस्य
04. श्री जयनारायण दग्दी	सदस्य
05. श्रीमती सरोज दग्दी	सदस्य
06. श्रीमती सम्रता पराशर	सदस्य
07. श्रीमती उमा दग्दी	सदस्य
08. श्रीमती वन्दना पराशर	सदस्य
09. श्री टीकम शर्मा	सदस्य
10. श्रीमती पुष्पा दायमा	सदस्य

05. भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति:-

01. श्री ओमप्रकाश डौल्या	अध्यक्ष
02. श्रीमती सन्नता पाराशर	सदस्य
03. श्रीमती सरोज दग्दी	सदस्य
04. श्रीमती उमा देवी पाराशर	सदस्य
05. श्रीमती पुष्पा दायमा	सदस्य
06. श्रीमती उमा दग्दी	सदस्य
07. श्री धीरज जादम	सदस्य
08. श्री गोपाल चौधरी	सदस्य
09. श्री जयनारायण दग्दी	सदस्य
10. श्री रविकान्त पारासर.	सदस्य

06. गन्दी बस्ती सुधार समिति:-

01. श्री शम्भु चौहान	अध्यक्ष
02. श्रीमती सरोज दग्दी	सदस्य
03. श्रीमती पुष्पा देवी दायमा	सदस्य
04. श्री कमल रामावत	सदस्य
05. श्री राजेन्द्र बकोलिया	सदस्य
06. श्रीमती सन्नता पाराशर	सदस्य
07. श्रीमती पिंकी तेजी	सदस्य
08. श्री कैलाश श्रष्टी	सदस्य
09. श्री धीरज जादम	सदस्य
10. श्रीमती उमा दग्दी	सदस्य

07. महिला एवं बाल विकास गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था समिति:-

01. श्रीमती पुष्पा दायमा	अध्यक्ष
02. श्रीमती उमा दग्दी	सदस्य
03. श्रीमती सन्नता पाराशर	सदस्य
04. श्रीमती सरोज दग्दी	सदस्य
05. श्रीमती उमा देवी पाराशर	सदस्य
06. श्री ओमप्रकाश डौल्या	सदस्य
07. श्री टीकम शर्मा	सदस्य
08. श्री भगवती भाटी	सदस्य
09. श्री राजेन्द्र बाकोलिया	सदस्य
10. श्रीमती लक्ष्मी देवी	सदस्य


08. नियम और उपविधि समिति:-

01. श्री धीरज जादम	अध्यक्ष
02. श्री टीकम शर्मा	सदस्य
03. श्रीमती सन्नता पाराशर	सदस्य
04. श्री भगवती भाटी	सदस्य
05. श्रीमती वन्दना पाराशर	सदस्य
06. श्री शम्भु चौहान	सदस्य
07. श्रीमती उमा दग्दी	सदस्य
08. श्री जयनारायण दग्दी	सदस्य
09. श्रीमती लक्ष्मी देवी	सदस्य
10. श्री धमेन्द्र नागौरा	सदस्य

09. अपराधों का शमन और समझौता समिति:-

01. श्रीमती समता पाराशर	अध्यक्ष
02. श्रीमती उमा दग्दी	सदस्य
03. श्री धीरज जादग	सदस्य
04. श्रीमती सरोज दग्दी	सदस्य
05. श्रीमती उमा देवी पाराशर	सदस्य
06. श्री शम्भु चौहान	सदस्य
07. श्री ओम प्रकाश डोल्या	सदस्य
08. श्री रविकान्त पाराशर	सदस्य
09. श्री कमल रामावत	सदस्य
10. श्रीमती पिकी तेजी	सदस्य

उक्त समितियां राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान नगर पालिका (समितियों की शक्तियां, कर्तव्य एवं कृत्य) नियम, 2009 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगी। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(उज्ज्वल राठौड)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक: 25/6/20

क्रमांक: प.8(ड)(08)स.ग./डीएलबी/20/ 1009-1017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, जिला कलक्टर, अजमेर राजस्थान।
05. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
06. अध्यक्ष, नगरपालिका, पुष्कर।
07. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पुष्कर।
08. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
09. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी